उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड

UTTAR PRADESH JAL VIDYUT NIGAM LIMITED

(A U.P. Govt. Enterprise)

Save Energy for Benefit of Self and Nation

स्वहित एवं राष्ट्रहित में बिजली बचाएं

CIN-U31901UP1985SGC007135

Registered/Corporate Office:
12th Floor, Shakti Bhawan Extension,
14- Ashok Marg, Lucknow-226001
Phone: 0522-2287037

रजिस्टर्ड/कारपोरेट कार्यालय :
12वां तल, शक्ति भवन विस्तार,
14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001
फोन: 0522-2287037
फैक्स नं0 : 0522-2287701 वि.नं.-4653

संख्या- 814 /का0 एवं प्रशा0/जविनिलि0/23-17(15)/2000 दिनांक: 24/3/2023

विषय: वर्ष 2021-2022 हेतु बोनस भुगतान अधिनियम-1965 के अन्तर्गत बोनस का भुगतान करने एवं जो कार्मिक उक्त अधिनियम से आवरित नही हैं, को शासन/पावर कारपोरेशन लि0 की अनुरूपता में तदर्थ अनुग्रह धनराशि भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के निदेशक मण्डल द्वारा परिचालन विधि से पारित निर्णयानुसार निगम के ऐसे कार्मिक जो बोनस भुगतान अधिनियम-1965 से आवरित हैं, उन्हें उक्त अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 2021-2022 हेतु बोनस का भुगतान करने एवं ऐसे कार्मिक जो उक्त बोनस भुगतान अधिनियम 1965 की परिधि से बाहर हैं, परन्तु शासन/उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा जारी तदर्थ अनुग्रह धनराशि की परिधि में आते हैं, उन्हे तदर्थ अनुग्रह धनराशि का भुगतान किये जाने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

ऐसे कार्मिक जो बोनस भुगतान अधिनियम-1965 से आवरित हैं, उन्हें उक्त अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 2021-2022 हेतु बोनस का भुगतान किया जायें। बोनस भुगतान अधिनियम 1965 की धारा 2(13) तथा 2(21) में क्रमशः Employee तथा Salary or wages की परिभाषा निम्नवत् है:-

"employee" means any person (other than an apprentice) employed on a salary or wages not exceeding (Twenty one thousand rupees) Per mensem in any industry to do any skilled or unskilled manual, supervisory, managerial, administrative, technical or clerical work for hire or rewards whether the terms of employment be express or implied."

"salary or wages" means all remuneration (other than remuneration in respect of over time work) capable of being expressed in term of money, which would, if the terms of employment, express or implied, where fulfilled, be payable to an employee in respect of his employment or of work done in such employment and includes dearness allowance (that is to say, all cash payaments, by whatever name called, paid to an employee on account of rise in the cast of living), but does not include.....

(i) any other allowance which the employee is for the time being entitled to ;
(ii) the value of any house accommodation or supply of light, water, medical attendance or other amenity of or any service or of any concessional supply of food grains or other articles;
(iii) any travelling concession;
(iv) any bonus (including incentive, production and attendance bonus);
(v) any contribution paid or payable by the employer to any pension fund or provident fund or for the benefit of the employee under any law for time being in force;
(vi) any retrenchment compensation or any gratuity or any exgratia payment made to him;
(vii) any commission payable to the employee.

Explanation.....Where an employee is given in lieu of the whole or part of the salary or wages payable to him, free food allowance or free food by his employer, such food allowance or the value of such food shall, for the purpose of this clause, be deemed to form part of the salary or wages of such employee.

उक्त को संज्ञान में लेते हुए लेखा वर्ष 2021-2022 के लिए वे कर्मचारी, जो बोनस भुगतान अधिनियम से आवरित हैं तथा मूल वेतन, ग्रेड पे तथा मँहगाई भत्ता मिलाकर रू0 इक्कीस हजार प्रतिमाह तक आहरित करते हों, को सम्बन्धित लेखा

वर्ष में आहरित वेतन/मजदूरी का 8.33 प्रतिशत की दर से बोनस भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। उक्त धनराशि का आगणन रू0 7000/– प्रतिमाह वेतन/मजदूरी मानकर ही किया जायेगा।

बोनस का भुगतान अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार होगा बशर्ते कि कर्मचारी ने उक्त वित्तीय वर्ष में तीस दिन से कम कार्य न किया हो।

ऐसी परिस्थितियॉ जहॉ किसी कर्मचारी के Misconduct के कारण निगम की वित्तीय हानि हुई है, तो उस लेखा वर्ष हेतु बोनस में से आनुपातिक कटौती कर ली जायेगी।

ऐसे कर्मचारी अनुग्रह धनराशि पाने के अधिकारी नही होंगे जो निम्नलिखित कारणों से निगम की सेवा से मुक्त कर दिये गये हैं:–

(अ) प्रवंचन (फ्राड) अथवा
(ब) निगम अधिष्ठान परिसर मे उपद्रव अथवा हिंसात्मक आचरण अथवा
(स) चोरी, निगमीय धन का दुरूपयोग या निगम की सम्पत्ति के तोड़फोड़ के आरोप में।

साथ ही अधिनियम की धारा–12,13,14 तथा 15 को भी संज्ञान में लेते हुए बोनस भुगतान के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें।

जो कार्मिक उक्त अधिनियम की परिधि से बाहर हैं, परन्तु शासन/उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा जारी तदर्थ अनुग्रह धनराशि की देयता की परिधि में आते हैं, को तदर्थ अनुग्रह धनराशि का भुगतान किया जाय। अतः उक्त अधिनियम की परिधि से बाहर उन पूर्णकालिक अराजपत्रित कर्मचारियों को वर्ष 2021–2022 हेतु शासन/उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की अनुरूपता में तदर्थ अनुग्रह धनराशि के रूप में 30 दिन की परिलब्धियों की स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों सहित सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1– पुनरीक्षित वेतन संरचना के अन्तर्गत वेतन मैट्रिक्स लेबल–8 (रू0 47600–151100) तक के पद (अपुनरीक्षित वेतनामानों में ग्रेड वेतन रू0 4800/–) पर कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारियें को अनुमन्य किया जाये भले ही उन्हे इससे उच्च वेतन मैट्रिक्स लेवल वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य हुआ हो।

2– तदर्थ धनराशि के भुगतान की गणना के लिये मासिक परिलब्धियों की अधिकतम सीमा रू0 7000/– होगी। तदर्थ अनुग्रह धनराशि के लिये 01 माह में औसत दिनों की संख्या–30.4 के आधार पर दिनांक 31 मार्च 2022 को ग्राह्य परिलब्धियों के अनुसार 30 दिन की परिलब्धियाँ आगणित की जायेगी।

3– दिनांक 31 मार्च, 2022 को वास्तविक औसत परिलब्धियाँ रू0 7000/–से ज्यादा होने की स्थिति में रू0 7000/–की परिकल्पित परिलब्धि मान कर दिनांक 31 मार्च, 2022 को 30 दिन की परिलब्धियाँ (रू0 7000 x 30/30.4=6907.89 अर्थात 6908/–तदर्थ अनुग्रह धनराशि के रूप में अनुमन्य होगी।

4– उक्त सुविधा केवल उन कर्मचारियों को अनुमन्य होगी, जिन्होने 31 मार्च 2022 को एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली थी।

5– ऐसे कर्मचारी, जिनके विरूद्ध अनुशासन एवं अपील नियमावली के अन्तर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा लम्बित हो, को तदर्थ अनुग्रह राशि का भुगतान ऐसे अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा मुकदमें का परिणाम प्राप्त होने तक स्थगित रहेगा, जो दोषमुक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा। इसके अतिरिक्त जिन कर्मचारियों को वर्ष 2021–2022 में किसी विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही अथवा आपराधिक मुकदमें में दण्ड दिया गया हो उन्हे तदर्थ अनुग्रह धनराशि देय न होगी।

6– किसी वित्तीय वर्ष के तदर्थ अनुग्रह धनराशि के सम्बन्ध में एक बार निर्णय ले लिये जाने के पश्चात आगामी वर्षो में किसी भी परिस्थिति में पुनर्विचार नहीं किया जायेगा।

7– इन आदेशों द्वारा स्वीकृत तदर्थ अनुग्रह धनराशि की आगणित धनराशि को निकटतम एक रूपया में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात 50 पैसे या उससे अधिक को एक रूपया मानकर और उससे कम को शामिल न करते हुए पूर्णांकित किया जायेगा।

8– दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों, जिन्होने दिनांक 31 मार्च 2022 को तीन वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक लगातर कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हो, को भी यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारियों को भी जिन्होने दिनांक 31 मार्च 2022 तक एक वर्ष निरन्तर सेवा पूरी नहीं की है, परन्तु उक्त तिथि तक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में (दोनो अवधियों को सम्मिलित करते हुए) तीन वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240, दिन कार्यरत रहे हो, यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे मामले में सम्बन्धित कर्मचारी के लिये मासिक परिलब्धियाँ रू0 1200/– प्रतिमाह मानी जायेगी। और इस प्रकार तदर्थ अनुग्रह राशि की देय धनराशि रू0 1200 X 30/30.4=1184.21 अर्थात रू0 1184 पूर्णांकित होगी परन्तु ऐसे कर्मचारी जिनकी वास्तविक परिलब्धियों रू0 1200/– प्रतिमाह से कम है उन्हे तदर्थ अनुग्रह धनराशि उनकी वास्तविक मासिक परिलब्धियों के आधार पर आगणित की जायेगी।

9– सभी श्रेणी के कर्मचारियों जिन्हे उक्त सुविधा अनुमन्य है, को तदर्थ अनुग्रह धनराशि की अनुमन्य धनराशि का 75 प्रतिशत भाग सम्बन्धित कर्मचारी के भविष्य निधि खाते/सी0पी0एफ0 में (जैसी भी स्थित हो), जमा किया जायेगा तथा शेष 25 प्रतिशत धनराशि का नकद भुगतान किया जायेगा। यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि/सी0पी0एफ0 खाते का सदस्य नहीं है तो उसके उक्त धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दी जायेगी अथवा पब्लिक प्राविडेंट फण्ड (पी0पी0एफ0) में जमा किया जायेगा। जो कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 31 मार्च 2022 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके है अथवा दिनांक 30 अप्रैल 2023 तक सेवानिवृत्त होने वाले हो उनको अनुमन्य सम्पूर्ण तदर्थ अनुग्रह धनराशि का भुगतान नकद दिया जायेगा।

10– वर्ष 2021–2022 हेतु निगम के कर्मचारियों को तदर्थ अनुग्रह धनराशि के भुगतान पर आये वित्तीय भार को निगम के आय–व्ययक 2022–2023 के नाम डाला जायेगा।

11– अनुग्रह धनराशि के भुगतान के लिए लेखा स्कन्ध द्वारा पृथक से प्राधिकृत पत्र (लेटर आफ अथारिटी) निर्गत करने की आवश्यकता नही होंगी और निगम के उक्त आदेश के आधार पर ही वर्ष 2021–2022 हेतु अनुग्रह धनराशि का भुगतान ग्राह्य होगा।

कृपया उक्त निर्णयानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्याः 814 /का0 एवं प्रशा0/जविनिलि/23–17(15)/2000, तद्दिनांकः 24/3/2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर प्रमुख सचिव(ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ के निजी सचिव ।
2– अध्यक्ष, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, के निजी सचिव।
3– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव ।
4– निदेशक (तकनीकी)/(वित्त), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
5– मुख्य अभियन्ता (परि0 एवं अनु0), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6– मुख्य अभियन्ता(एम0पी0एस0), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
7– उपमहाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, विकासदीप, लखनऊ ।
8– अधीक्षण अभियन्ता (जानपद), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।
9– अधीक्षण अभियन्ता, जल विद्युत उत्पादन मण्डल, पिपरी/माताटीला/खारा।
10– कम्पनी सचिव, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, 12वां तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11– अधिशासी अभियन्ता, जल विद्युत उत्पादन खण्ड, पिपरी/ओबरा/माताटीला/खारा/मुजफ्फरनगर/जानपद निर्माण खण्ड, खारा।
12– अधिशासी अभियन्ता (मुख्यालय), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13– लेखाधिकारी (आहरण एवं वितरण)/(वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, विकादीप, लखनऊ ।
14– कट फाइल।

24/03/2023

(मो0 अलीम)
उप सचिव (का0 एवं प्रशा0)